महत्वपूर्ण / कोर्टकेस / समयबद्ध कार्यवाही के संबंध में

पत्र सं0-से0वा0अनु0-परिपत्र (2012-13) / 1249/ **1213056 /05-10-2012** / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

(सेवावाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: अक्टूबर 05 ,2012

1-समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/
एडीशनल ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
2-एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य)
वाणिज्य कर, इलाहाबाद ।
3-एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य)
वाणिज्य कर, लखनऊ ।
4-एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(सर्वो0न्या0कार्य)
वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।
5-समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्य/वि0अनु0शा0/अपील),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
6-समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय :- मा0 उच्चतम / उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध रुप से कार्यवाही किये जाने तथा आदेशों का समय से अनुपालन न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण विषयक दिशा-निर्देश

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-994/दो-4-2004-22(26)/2003 दि0 05-03-2004 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवमान रिट याचिकाओं में हो रही निरन्तर वृद्धि को रोकने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समयबद्ध रुप से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । उक्त निर्देशानुसार यदि शासन के विरुद्ध दाखिल रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालयों से प्राप्त अन्तरिम आदेश / अन्तिम निर्णय में यदि कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो विधिक परामर्श लेकर उसके विरुद्ध समय सीमा के अन्दर यथावश्यक आपत्ति रिव्यु पिटीशन / स्पेशल अपील अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करके उस पर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहिए तथा यदि उसमें सफलता नहीं मिलती है तो निर्णय का अनुपालन किया जाए ताकि मा0 न्यायालयों के निर्णय के अनुपालन न होने के कारण अवमानना याचिका की स्थिति उत्पन्न न हो ।

2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0-316/पीएसएमस/12 दिनांक 05-04-2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त विषयक मामलों में समयबद्ध रुप से कार्यवाही करने तथा आदेशों का समय से अनुपालन न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन को जारी किये गये हैं जिसके अनुसार मा0 उच्चतम / उच्च न्यायालय के आदेश / निर्देश जिन प्रकरणों में अनुपालन हेतु अवधि निर्धारित की जाती है, वह विभागीय स्तर पर लम्बे समय तक बिना किसी कार्यवाही के लम्बित पड़े रहते हैं तथा मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही न होने के फलस्वरुप मा0 न्यायालय की अवमानना की स्थिति बनती है जिसके कारण वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना की नोटिस एवं स्वयं उपस्थित होने के आदेश मा0 न्यायालयों द्वारा पारित किए जाते हैं । इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना अत्यन्त असंतोषजनक/ आपत्तिजनक है। अत: इस संबंध में निर्देश दिए गए है कि मा0 न्यायालयों के आदेश प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम एक सप्ताह में सक्षम स्तर के अनुमोदन से आदेश का अनुपालन करने अथवा आदेश के विरुद्ध विशेष अपील / विशेष अनुज्ञा याचिका दायर होने के संबंध में विभागीय मत स्थिर कर आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए तथा समय से मा0 न्यायालय को अवगत भी करा लिया जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय अथवा असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो ।

3- शासन के पत्र सं0-1474/दो-4-2012-22(26)2003 दिनांक 21-08-2012(छायाप्रति संलग्न)द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 05-03-2004 का कड़ाई से अनुपालन न किये जाने से अवमान याचिकाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है एवं अवमान याचिकाओं में शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षा की स्वीकृति प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों के साथ समस्त आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है । अत: अवमानना याचिकाओं में शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षा की स्वीकृति के आदेश निर्गत करने हेतु प्रेषित किए जाने वाले अनुरोध पत्रों के साथ समस्त आवश्यक अभिलेख यथा मा0 उच्च न्यायालय के मूल आदेश, अवमानना याचिका, अवमानना याचिका में पारित मा0 न्यायालय के आदेश (contempt notice) अनुबन्ध पत्र तथा प्रस्तरवार आख्या जिसके प्रस्तर विशेष में शासनादेश दिनांक 05-03-2004 में दिए गए निर्देशों के अनुरुप मा0 न्यायालय के अन्तरिम आदेश अथवा अन्तिम निर्णय, उन्हें प्राप्त होने की तिथि और उस पर दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही तथा मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिस स्तर से विलम्ब हुआ और उसके लिए दोषी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम एवं दोषी कर्मचारी / अधिकारी से अवमानना याचिका की पैरवी में होने वाले व्यय की वसूली अथवा उसके विरुद्ध अन्य की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

4- अवमानना याचिकाओं की संख्या में कमी लाने एवं इनकी सही ढंग से पैरवी न होने के कारण पड़ने वाले अनावश्यक व्यय भार में कमी लाने के उद्देश्य से निर्गत किये गये शासनादेश दिनांक 05-03-2004 का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण अवमानना याचिकाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षा जारी करने के कारण शासन पर अनावश्यक व्यय भार में भी वृद्धि हो रही है । अत: शासनादेश दिनांक 05-03-2004, 05-04-2012 एवं शासनादेश दिनॉक 21-08-2012 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए ।

अत: शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्चतम / उच्च न्यायालय एवं मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करने / कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित न होने पर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना / कराना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें । यदि किसी प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय / मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 के स्वयं उपस्थित होने के आदेश होते हैं अथवा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अवमान नोटिस जारी किए जाते हैं तथा यह स्पष्ट होता है कि ऐसा विभागीय शिथिलता अथवा अकर्मण्यता के कारण हुआ है तो इस स्थिति को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध परीक्षणोपरान्त् यथोचित् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार ।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, प्रथम, (कमिश्नर कैम्प), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
4- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
5- संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार ।

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।